न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र स0 : 50 सन 2021

अनवान :–

1. सन्दीप कुमार पुत्र धन्नपत जाति जाट साकिन परलिका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. मामकौरी पत्नी स्व बृजलाल जाति जाट साकिन परलिका तहसील नोहर।
2. जयपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन परलिका तहसील नोहर।
3. प्रतापसिह पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन परलिका तहसील नोहर।
4. राजेन्द पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन परलिका तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पजियक कार्यालय रामगढ तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता सायल
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1 ता 4

निर्णय दिनांक :– 01/4/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा चक 19 एनटीआर के खाता सख्या 76/75 की कुल 2.0240हैक भूमि बृजलाल पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के पडदादा सुल्तान पुत्र रेखाराम के समय की पुरानी खातेदारी भूमि है तथा पैतृक भूमि दादालाई भूमि है जिसमें सायल व गैरसायल सख्या 2 ता 4 व दावा के प्रतिवादी सख्या 5 .6 का पैदायशी हक हिस्सा है।

वाद भूमि सयुक्त हिन्दु खानदान की भूमि है जो बाद फौतदगी सुल्तान पुत्र रेखाराम उसके लडके बृजलाल पुत्र सुलतान के नाम से बतौरकर्ता हिन्दु खानदान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार की धारा 6 व 8 के अनुसार बृजलाल के जीवनकाल में ही उसके लडके व लडकीयों का बराबर का हक हिस्सा है।

सुल्तान पुत्र रेखाराम के नाम दर्ज भूमि सुलतान पुत्र रेखाराम के देहान्त होने पर उसके पुत्र बृजलाल पुत्र सुलतान पर औद हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है बृजलाल पुत्र सुलतान का देहान्त हो चुका है हिन्दु उतराधिकार के अनुसार बृजलाल के नाम दर्ज भूमि में गैरसायल न0 2 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 सातो मृतक बृजलाल के जीवनकाल में ही उसके साथ बहिव के यानी प्रत्येक 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा मृतक बृजलाल के 1/8 हिस्सा में उसकी पत्नी गैरसायल संख्या 1 व गैरसायल संख्या 2 ता 4 व दावा में प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 आठो बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/64 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्सा में सायल व तरतीवी प्रतिवादी नम्बर 9 ता 11 प्रतिवादी संख्या 5 के साथ बहिव के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 76/75 की कुल 2.0240हैक में सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 पाचो बहिव 9/64 हिस्सा तथा गैरसायला न0 1 अकेली 1/64 हिस्सा तथा गैरसायल न0 2 अकेला 9/64 हिस्सा तथा गैरसायल न0 3 अकेला 9/64 हिस्सा तथा गैरसायल 4 अकेला 9/64 हिरासा तथा प्रतिवादी सांख्या 6 अकेला 9/64 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 अकेली 9/64 हिस्सा तथा प्रतिवादी सांख्या 8 अकेली 9/64 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि मृतक बृजलाल के नाम से दर्ज है गैरसायान उक्त भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम दर्ज करवाकर फरोख्त करने व मौका व रिकार्ड की स्थिति परिर्वतन करने पर उतारू है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये सायल गैरसायलान को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को पाबन्द किया जावे

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

की वह रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 76/75 की कुल 2.0240हैव भूमि की रिकार्ड एव मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और से रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वाद भूमि के सम्बध में राजेन्द्र बनाम बृजलाल आदि दावा संख्या 135/1994 श्रीमानजी की अदालत में चला था जिसमें दिनांक 20.12.1995 को निर्णय पारित किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिव का यानी प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया था जो कि मौजूदा प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व सायल का पिता धनपत व बृजलाल थे बृजलाल पुत्र सुलतान ने अपने 1/5 हिस्सा भूमि का दान पत्र दिनांक 01.10.2020 को उतरदाता की पत्नी के पक्ष में करवा दिया जो कि मुताबिक दानपत्र खातेदार काश्तकार है इसलिये विवादित भूमि में सायल का उतरदाता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में गलत तौर से अंकित किया गया है वाद भूमि विरास्तन से प्राप्त नही हुई बल्की न्यायालय के आदेश /निर्णय दिनांक 20.12.9995 से प्राप्त हुई है जिसका दानपत्र करवाई गया है उत्तरदाता दानपत्र के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है विवादित भूमि में सायल व गैरसायल का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल संख्या 1 दानपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुकी है इसलिये गैरसायल के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है

गैरसायलान जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 76/75 की कुल 2.0240हैक्ट भूमि बृजलाल पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के पडदादा सुल्तान पुत्र रेखाराम के समय की पुरानी खातेदारी भूमि है तथा पैतृक भूमि दादालाई भूमि है जिसमें सायल व गैरसायल संख्या 2 ता 4 व दावा के प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का पैदायशी हक हिस्सा है।

वाद भूमि सयुक्त हिन्दु खानदान की भूमि है जो बाद फौतदगी सुल्तान पुत्र रेखाराम उसके लडके बृजलाल पुत्र सुलतान के नाम से बतौरकर्ता हिन्दु खानदान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार की धारा 6 व 8 के अनुसार बृजलाल के जीवनकाल में ही उसके लडके व लडकीयों का बराबर का हक हिस्सा है।

सुल्तान पुत्र रेखाराम के नाम दर्ज भूमि सुलतान पुत्र रेखाराम के देहान्त होने पर उसके पुत्र बृजलाल पुत्र सुलतान पर औद हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है बृजलाल पुत्र सुलतान का देहान्त हो चुका है हिन्दु उतराधिकार के अनुसार बृजलाल के नाम दर्ज भूमि में गैरसायल न0 2 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 सातो मृतक बृजलाल के जीवनकाल में ही उसके साथ बहिव के यानी प्रत्येक 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा मृतक बृजलाल के 1/8 हिस्सा में उसकी पत्नी गैरसायल संख्या 1 व गैरसायल संख्या 2 ता 4 व दावा में प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 आठो बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/64 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्सा में सायल व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 9 ता 11 प्रतिवादी संख्या 5 के साथ बहिव के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 76/75 की कुल 2.0240हैक्ट में सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 पाचो बहिव 9/64 हिस्सा तथा गैरसायला न0 1 अकेली 1/64 हिस्सा तथा गैरसायल न0 2 अकेला 9/64 हिस्सा तथा गैरसायल न0 3 अकेला 9/64 हिस्सा तथा गैरसायल 4 अकेला 9/64 हिससा तथा प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 9/64 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 अकेली 9/64 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 अकेली 9/64 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि मृतक बृजलाल के नाम से दर्ज है गैरसायान उक्त भूमि को विधि विरूद्व तरीके से अपने नाम दर्ज करवाकर फरोख्त करने व मौका व रिकार्ड की रिथति परिर्वतन करने पर उतारू है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये सायल गेरसायलान को पावन्द करवाने के अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नो.र

Scanned with CamScanner

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को पावन्द किया जावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि के सम्बध में राजेन्द्र बनाम बृजलाल आदि दावा संख्या 135/1994 श्रीमानजी की अदालत में चला था जिसमें दिनांक 20.12.1995 को निर्णय पारित किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिब का यानी प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था जो कि मौजूदा प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व सायल का पिता धनपत व बृजलाल थे बृजलाल पुत्र सुलतान ने अपने 1/5 हिस्सा भूमि का दान पत्र दिनांक 01.10.2020 को उतरदाता की पत्नी के पक्ष में करवा दिया जो कि मुताबिक दानपत्र खातेदार काश्तकार है इसलिये विवादित भूमि में सायल का उतरदाता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में गलत तौर से अंकित किया गया है वाद भूमि विरासतन से प्राप्त नही हुई बल्की न्यायालय के आदेश /निर्णय दिनांक 20.12.9995 से प्राप्त हुई है जिसका दानपत्र करवाई गया है उत्तरदाता दानपत्र के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है विवादित भूमि में सायल व गैरसायल का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल संख्या 1 दानपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुकी है इसलिये गैरसायल के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है तथा दानपत्र को खारिज करवाये बिना सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खताा संख्या 76/75 की कुल 2.0240हैक भूमि बृजलाल पुत्र सुलतान के नाम से दर्ज है एवं बृजलाल पुत्र सुलतान ने अपने हक हिस्सा की उक्त भूमि का दानपत्र गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में करवाया गया है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल संख्या – 1 के पक्ष में पाया जाता है।

सायल ने वाद पैतृक सम्पति होने का कथन किया जाकर अपने हकों की धोषणा करवाने का पेश कर गैरसायल संख्या 1 को जो दानपत्र के जरिये भूमि प्राप्त हुई है में अपने हको की धोषणा करवाने का वाद पेश किया गया है।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार इसी न्यायालय में वाद संख्या 35/1994 में अनवानी राजेन्द्र बनाम बृजलाल आदि पेश किया था जो दिनांक 02.07.997 को निर्णय पारित किया जाकर राजेन्द्र , बृजलाल , धनपत , जयलाल, प्रताप के हकों की धोषणा की जाकर खाता विभाजन किया गया था अर्थात बृजलाल उसकी दोनो पत्नीयों के पुत्रों धनपत , जयपाल , प्रतापसिह , राजेन्द्र के हकों की धोषणा की जाकर भूमि अलग अलग की गई थी।

वाद भूमि बृजलाल पुत्र सुलतान को न्यायालय के निर्णय अनुसार प्राप्त हुई थी जो बृजलाल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी बृजलाल पुत्र सुलतान का दिनांक 28.12.2020 को देहान्त हो चुका है बृजलाल पुत्र सुलतान ने अपने हक हिस्सा की वाद भूमि का दानपत्र दिनांक 01.10.2020 को अपनी पत्नी गैरसायल संख्या 1 मामकौरी के पक्ष में किया जा चुका है दानपत्र के अनुसार गैरसायल संख्या 1 बृजलाल के हक हिस्सा की खातेदार काश्तकार/हकदार हो गई है।

सायल सन्दीप धनपत का पुत्र है जिसके द्वारा बृजलाल (दादा) के नाम दर्ज भूमि में अपने हको की धोषणा चाही गई जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर ही तय होगा की न्यायालय से हको/विभाजन की धोषणा होने के बाद किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी है या नही तथा गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर दानपत्र है।

सायल ने अपने दादा से अपने हकों की धोषणा चाही गई है जिसका दानपत्र गैरसायल संख्या 1 के नाम करवाया जा चुका है दानपत्र के आधार पर गैरसायला संख्या 1 खातेदार काश्तकार की श्रेणी में आती है रजिस्टर दस्तावेज के आधार पर खातेदार काश्तकार की श्रेणी में आने के कारण किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना रजिस्टर दस्तावेज निरस्तीकरण की श्रेणी में आता है जिसे बिना किसी ठोस आधार के किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है ।

मात्र कथनो के आधार पर रजिस्टर दस्तावेजात के आधार पर खातेदार काश्तकार की श्रेणी के काश्तकार को पावन्द करने से अपूर्णीय क्षति रिकार्डेड दस्तावेज धारक

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

Scanned with CamScanner